न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 52/2019

1 रतनलाल पुत्र स्व. मालीराम जाति ब्राह्मण उम्र 52 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल निवासी अहमदाबाद
2 राधा देवी पत्नी स्व. मालीराम जाति ब्राह्मण उम्र 70 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 अजय पुत्र स्व. शिम्भुदयाल जाति ब्राह्मण उम्र 45 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 पुष्पा देवी पत्नी स्व. शिम्भुदयाल जाति ब्राह्मण उम्र 52 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 गोरधन पुत्र भूराराम जाति जाट उम्र 68 साल निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 रामचन्द्र पुत्र भूराराम जाति जाट उम्र 64 साल निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 महेन्द्र पुत्र नन्दराम उम्र 51 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 संतकुमार पुत्र नन्दराम उम्र 46 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सोनी देवी पत्नी नन्दराम उम्र 71 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 माडी देवी पत्नी बल्लाराम उम्र 74 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 औमप्रकाश पुत्र बल्लाराम उम्र 57 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 नरेश कुमार पुत्र बल्लाराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 सतरो पुत्री बल्लाराम उम्र 54 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

10 रोशनी पुत्री बल्लाराम उम्र 44 साल जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

11 मनोज कुमार पुत्र स्व. मालीराम जाति ब्राह्मण उम्र 56 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल निवासी मुम्बई।

12 मधू पुत्री स्व. मालीराम पत्नी मोहनलाल उम्र 48 साल जाति ब्राह्मण निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. हाल निवासी बी क्यू शालीमार बाग नई दिल्ली।

13 सरिता पुत्री स्व. मालीराम पत्नी चन्द्रप्रकाश लसारिया उम्र 50 साल जाति ब्राह्मण निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ हाल निवासी श्रीरामकृष्ण सेक्टर 27 ए प्लाट नम्बर 400 मसकेत चौक त्रिमुर्ती हाल के सामने प्राधिकरण निगडी पूना 44

14 आशा पुत्री स्व. शिम्भुदयाल जाति ब्राह्मण उम्र 42 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल निवासी महेन्द्रगढ़

15 श्यामलाल पुत्री कालूराम उम्र 71 साल जाति ब्राह्मण निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल निवासी टी 41 प्रिंसेस ट्रिट थर्ड फ्लोर कोलकाता–72।

16 सीताराम पुत्र कालूराम उम्र 69 साल जाति ब्राह्मण निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल निवासी बी एच 181 शोर्टलेक सिटी कोलकाता 91।

17 अभिमन्यू पुत्र स्व. कांतीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ हाल निवासी जे 14 सेटेलाईट पार्क 35 स्टार इंडिया बाजार के पिछे एरिया सेटेलाईट अहमदाबाद 15।

18 पियुष पुत्र स्व. कातीलाल उम्र 35 साल जाति ब्राह्मण निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ हाल निवासी जे 14 सेटेलाईट पार्क 35 स्टार इंडिया बाजार के पिछे एरिया सेटेलाईट अहमदाबाद 15।

19 नेहा पुत्री स्व. कांतीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 37 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ हाल निवासी जे 14 सेटेलाईट पार्क 35 स्टार इंडिया बाजार के पिछे एरिया सेटेलाईट अहमदाबाद 15।

20 मधू शर्मा पत्नी स्व. कांतीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 62 साल निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ हाल निवासी जे 14 सेटेलाइट पार्क 35 स्टार इंडिया बाजार के पिछे एरिया सेटेलाईट अहमदाबाद 15।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

21 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.05.2019 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ पीठासीन अधिकारी
अभिलाषा सिंह आर.ए.एस मुकदमा नम्बर 41/2013
मुकदमा उनवानी गोरधन वगै. बनाम मालीराम वगै.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी
एक्ट 1955

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल तृतीय, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 2 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 4, 8, 9, 10, 163/8, 174/8, 175/10 वाके ग्राम हरिपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने खसरा नम्बर 8, 9, 10 व 163/8 के 1/2 हिस्से के खातेदार बताया है शेष 1/2 हिस्से के खातेदार के द्वारा आज तक कभी भी कोई रास्ते की मांग नहीं की गई है क्योंकि खसरा नम्बर 8, 9, 10 व 163/8 के खातेदार उनके दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 20 व 21 में मौजूद रास्ते से आते जाते है तथा उक्त भूमि के शेष 1/2 हिस्से के खातेदार जब अपने खेत में रास्ते से आते है तथा उनके द्वारा कभी रास्ते बाबत कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया ना कभी किसी से रास्ता मांगा गया है इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के खेत में आने जाने का रास्ता है इस तथ्य पर विचार ना कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 8, 9, 10 व 163/8 में जाने के लिए मौके पर रास्ता मौजुद है। खेत खसरा नम्बर 8, 9, 10 व 163/8 शामलाती जमीन है जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 10 की शामलाती जमीन है जिसका आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर 8, 9, 10 व 163/8 के दक्षिण में स्थित जमीन खसरा नम्बर 20 व 21 से आज भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 10 आते जाते है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 10 ने कभी भी रास्ते की मांग नहीं की है ना ही इस मुकदमे में उपस्थित होकर गोरधन व रामचन्द्र का समर्थन किया है ना ही उसे रास्ते की आवश्यकता होना बताया है तथा गोरधन व रामचन्द्र वर्तमान में भी खसरा नंबर 20 व 21 में स्थित रास्ते से ही अपने खेत में आते जाते है तथा मौके पर 15 फीट से ज्यादा चोड़ा रास्ता मौजूद है जिनसे वह अपने खेत में आता जाता है। जमीन हाल खसरा नम्बर 4 में से जमीन हाल खसरा नबर 8, 9, 10 व 163/8 में आने जाने का कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा। खसरा नम्बर 8, 9, 10 व 163/8 के दक्षिण में से धिंधवा काजड़ा का रास्ता स्थित है जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के खेत के नजदीक लगता रास्ता है लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपने परिवार के खेत में से रास्ता लेने की बजाय गलत रूप से प्रार्थीगण के खेत में से रास्ते की मांग की है जिसे नहीं समझकर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है तथा ना ही अन्य वैकल्पिक रास्ते बाबत तहसीलदार साहब की कोई रिपोर्ट मंगवाई गई है ना ही हरिपुरा से रेस्पोडेन्ट के खेत में कौन सा रास्ता कहा से उपयुक्त है इस बाबत कोई रिपोर्ट मंगवाई गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। विचारण न्यायालय द्वारा ऑर्डरशीट दिनांक 14.03.2019 के अनुसार प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट मंगवाई थी जो गलत एवं विरूद्ध कानून है इसलिए निर्णय दिनांक 02.05.2019 निरस्त होने योग्य है। जांच रिपोर्ट मौके पर जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा तैयार नहीं की गई है बल्कि भू.अ.नि. देवरोड़ द्वारा तैयार करवाई गई है तथा दिनांक व क्रमांक में कांट–छांट की गई है। उक्त रिपोर्ट किस तारीख को कब किसकी उपस्थिति में तैयार की गई यह तथाकथित रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होता है तथा भू.अ.नि. देवरोड़ को विचारण न्यायालय द्वारा कभी भी रिपोर्ट मंगवाने हेतु नहीं कहा गया है तथा पत्रावली की ऑर्डरशीट दिनांक 14.03.2019 के अनुसार पत्रावली में एक रिपोर्ट दिनांक 15.02.2013 की आई हुई है जिसके बाबत न्यायालय का कोई आदेश ऑर्डरशीट में नहीं है तो तहसीलदार साहब ने किसके आदेश से उक्त जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा उसी प्रथम रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है जो किसी प्रकार साबित नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन से रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित कर दिया, जिसमें प्रार्थीगण की समूचित तामील नहीं हुई है ना ही प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने जवाब प्रस्तुत करने व वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय से प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन से गलत रूप से रास्ता कायम कया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पहले से रास्ता मौजूद था जिस बाबत प्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है इसिलए विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के मुताबिक आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा उनके खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है ना ही कटानी रास्ता है तथा अन्य तरफ से कोई कम दूरी का रास्ता नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 2.78 हैक्टेयर वाके मौजा काजड़ा में से 180 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 720

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर * भू-प्रबन्ध

वर्गमीटर भूमि का रास्ता कायम करने हेतु तहसीलदार की ओर से अभिशंषा की गई है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा भी दर्शाया गया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2019/603 दिनांक 30.04.2019 के अनुसार आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है व इसके अलावा उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 के तहत तामीली प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है। अपील के स्तर पर रास्ते के संदर्भ में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के मुताबिक आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा उनके खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है ना ही कटानी रास्ता है तथा अन्य तरफ से कोई कम दूरी का रास्ता नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 2. 78 हैक्टेयर वाके मौजा काजड़ा में से 180 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 720 वर्गमीटर भूमि का रास्ता कायम करने हेतु तहसीलदार की ओर से अभिशंषा की गई है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा भी दर्शाया गया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2019/603 दिनांक 30.04.2019 के अनुसार आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है व इसके अलावा उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 के तहत तामीली प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है। अपील के स्तर पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

रास्ते के संदर्भ में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर